प्रेस नोट 01- दिनांक 30.09.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

पुलिस मुठभेड़ में गोकशी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा गोकशी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.09.2024 को अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा गोवंश का मांस बेचने के लिये गोवंश का वध कर देने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 686/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 बनाम अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। दिनांक 29.09.2024 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. मो0 निजाम पुत्र सगीर अहमद उम्र करीब 30 वर्ष नि0 15 पुरानी कोतवाली थाना कोतवाली सदर उन्नाव 2. समीर पुत्र मो0 हसीन अहमद उम्र करीब 19 वर्ष नि0 81/199 कसाईवाड़ा कुली बाजार थाना बादशाही नाका कानपुर नगर को गोकशी का सामान बरामद कर गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। विवेचना के क्रम में अभियुक्त महताब आलम कुरैशी व इमाद कुरैशी का नाम प्रकाश में आया था। आज दिनांक 30.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली द्वारा गठित दो टीमों द्वारा कानपुर लखनऊ हाइवे से पीडी नगर के रास्ते पर हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त महताब आलम कुरैशी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गयी पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में घुटने से नीचे गोली लगी जिसे मौके से गिरफ्तार कर घायल अवस्था में जिला अस्पताल उन्नाव में उपचार कराया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त का पुत्र इमाद कुरैशी मौके से फरार हो गया। अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग दिनांक 25/26.09.2024 की रात को भौर के समय अनवार नगर कादिर बाग की झाडियों में एक गाय को काटकर उसका मांस ई रिक्शा से उठा ले गये थे तथा उसके अवशेष वहीं छोड़ दिये थे। आज भी मैं और मेरा बेटा इमाद कुरैशी दोबारा घटना को अंजाम देने वाले थे। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

महताब आलम कुरैशी पुत्र पुत्र अब्दुल रहमान नि0 इकलाक नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगीः-एक अदद अदद देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक एदद खोखा कारतूस .315 बोर एवं अपाचे गाड़ी सं0 UP78DF 7869 रंग सफेद (सीज अन्तर्गत धारा 207 MV Act), गोवंश के मांस के बिक्री के रुपये 2200/-

आपराधिक इतिहासः-

1—मु0अ0सं0 449/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

2—मु0अ0सं0 450/19 धारा 18/20 NDPS एक्ट थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव

3—मु0अ0सं0 686/24 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि व 109 BNS एवं 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

01. प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव
02. उ0नि0 अंजनी सिंह चौकी प्रभारी अस्पताल थाना कोतवाली सदर उन्नाव
03. उ0नि0 राजेश कुमार दीक्षित चौकी प्रभारी किला थाना कोतवाली सदर उन्नाव
04. हे0का0 मसूद खान,
05. हे0का0 अरूण कुमार,
06. हे0का0 भाल चन्द्र,
07. हे0का0 प्रभाकर राय,
08. हे0का0 भइया लाल,
09. हे0का0 संजीव कुमार,
10. का0 सुनील चौहान,
11. का0 रणविजय यादव,
12. का0 अमित कुमार,
13. का0 फैजान,
14. का0 राजेश,
15. का0 विवेक

प्रेस नोट 02- दिनांक 30.09.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म के तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.09.2024 को थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 286/24 धारा 115(2), 70(2), 127(2), 123 बीएनएस व 5(G)/6 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1.अरबाज पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम सुपासी डेरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव 2.सोहेल पुत्र शहीद निवासी उपरोक्त 3.नन्नू उर्फ निवाजुद्दीन पुत्र कमुआ निवासी उपरोक्त 4.शाहिद पुत्र इशाक नि0 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 30.09.2024 को प्र0नि0 श्री राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.अरबाज पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम सुपासी डेरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव 2.सोहेल पुत्र शहीद निवासी ग्राम सुपासी डेरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव 3.नन्नू उर्फ निवाजुद्दीन पुत्र कमुआ निवासी ग्राम सुपासी डेरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को जगजीवनपुर बदरका लिंक मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.अरबाज पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम सुपासी डेरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव
2.सोहेल पुत्र शहीद निवासी ग्राम सुपासी डेरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव
3.नन्नू उर्फ निवाजुद्दीन पुत्र कमुआ निवासी ग्राम सुपासी डेरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी
2. का0 ओमनारायण
3. का0 प्रवीण चौरसिया
4. का0 संजय भाटी

प्रेस नोट 03- दिनांक 30.09.2024

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना सोहरामऊ पर दिनांक 25.07.2024 को वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 143/2024 धारा 64/115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त बबलू पुत्र स्व0 शिव दयाल निवासी ग्राम प्रसाद खेडा मजरा बाल्हेमऊ थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 30.09.2024 को उ0नि0 श्री रामबली सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त बबलू उपरोक्त को बजेहरा मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बबलू पुत्र स्व0 शिव दयाल निवासी ग्राम प्रसाद खेडा मजरा बाल्हेमऊ थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1 .उ0नि0 श्री रामबली सिंह ।।
2.हे0का0 हृदनारायण
3. का0 अंकुश पवार

प्रेस नोट 04- दिनांक 30.09.2024

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव

एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 30.09.2024 को उ0नि0 श्री मो0 असलम मय हमराह पुलिस बल द्वारा वारण्टी अभियुक्त ललउनू उर्फ सन्तोष पुत्र रामस्वरूप निवासी सरायजोगा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव सम्बन्धित केस नं0 -11941/24, अ0सं0 13/01 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

ललउनू उर्फ सन्तोष पुत्र रामस्वरूप निवासी सरायजोगा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 42 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1.उ0नि0 श्री मो0 असलम

2. का0 सत्यपाल सिंह

प्रेस नोट 05- दिनांक 30.09.2024

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव

धार्मिक भावनाओं को आहत करने की टिप्पणी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबन्धी टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.09.2024 वादी श्रीपाल पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम आशायस थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि ग्राम पोहपी खेडा मजरा आशायस निवासी प्रशान्त कुमार पुत्र महावीर द्वारा अराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जिससे प्रार्थी व अन्य ग्राम वासियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2024 धारा 302 बीएनएस का पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही है। आज दिनांक 30.09.2024 को थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा ग्राम पोहपीखेड़ा से अभियुक्त प्रशान्त कुमार पुत्र महावीर निवासी पोहपी खेडा मजरा आशायस थाना बेहटा मुजावर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रशान्त कुमार पुत्र महावीर निवासी पोहपी खेडा मजरा आशायस थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह

2.का0 सोनू कुमार